CICMS No. 2021/37

फर्द अहकाम

अज अदालत–न्यायालय जिला कलक्टर–मुकाम–भरतपुर

सुन्दरलाल बनाम समाज कल्याण विभाग,भरतपुर

किस्म मुकदमा अपील आर. टी. आई नम्बर 18 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
10.02.2021	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सुन्दरलाल पुत्र देवीराम निवासी मुकाम पोस्ट पाला (रतनगढ) तहसील मालाखेडा जिला अलवर की अपील समाज कल्याण विभाग भरतपुर के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपील का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा यह अपील समाज कल्याण विभाग,भरतपुर के खिलाफ पेश की गई है। आर.टी.आई एक्ट के तहत समाज कल्याण विभाग, भरतपुर के खिलाफ अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस कार्यालय को नहीं है। अतः प्राप्त मूल अपील प्रार्थी को वापिस लोटाकर सूचित किया जावे कि वे नियमानुसार अपील निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर के यहां प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर भरतपुर (राज.) Signature Not Verified Digitally signed by Nathmal Didel Date: 2021.02.26 16:15:05 IST Reason: SelfAttested	